रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 391] नई दिल्ली, मंगलवार, अप्रैल 20, 2004/चैत्र 31, 1926
No. 391] NEW DELHI, TUESDAY, APRIL 20, 2004/CHAITRA 31, 1926

वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)
(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)
अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 अप्रैल, 2004

आय-कर

का.आ. 514(अ).—केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 80-झख की उपधारा (7ख) के खंड (ख) के उपखंड (iii) और उपधारा (14) के खंड (कक) के साथ पठित आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 295 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आय-कर नियम, 1962 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाता है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आय-कर (आठवाँ संशोधन) नियम, 2004 है।

(2) ये 1 अप्रैल, 2002 से प्रवृत्त हुए समझे जाएंगे।

2. आय-कर नियम, 1962 में,—

(क) नियम 18घख के पश्चात् निम्नलिखित नियम अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"80-झख की उपधारा (7ख) और उपधारा (14) के खंड (कक) के अधीन कटौती के लिए कन्वेंशन केन्द्रों के लिए विहित क्षेत्र, प्रसुविधाएं और सुख-सुविधाएं और संपरीक्षा रिपोर्ट की विशिष्टियां।

18घग. (1) धारा 80-झख की उपधारा (7ख) और उपधारा (14) के खंड (कक) के प्रयोजन के लिए कन्वेंशन केन्द्र में निम्नलिखित क्षेत्र, प्रसुविधाएं और सुख-सुविधाएं होंगी :—

(i) नीचे सारणी के स्तंभ (1) में उल्लिखित नगर या शहर में अवस्थित कन्वेंशन केन्द्र में स्तंभ (2) में उल्लिखित न्यूनतम कुर्सी क्षेत्र, स्तंभ (3) में उल्लिखित न्यूनतम स्थान क्षमता और स्तंभ (4) में उल्लिखित सम्मेलन या सेमिनार भवनों की न्यूनतम संख्या निम्नानुसार होंगी :—

नगर आकार जनसंख्या (2001 की जनगणना के अनुसार)	कुर्सी क्षेत्र के अंतर्गत आने वाला न्यूनतम क्षेत्र (वर्ग मी. में)	न्यूनतम स्थान क्षमता रैंज	सम्मेलन या सेमिनार भवनों का न्यूनतम संख्या)
(1)	(2)	(3)	(4)
5 लाख से कम	2000	200-300	2
5-10 लाख	5000	500-750	3

(1)	(2)	(3)	(4)
10-40 लाख	10000	1000-1500	5
40 लाख से अधिक बड़े शहर	15000	1500-2000	7

(ii) कन्वेंशन केन्द्र में सम्मेलन, सेमिनार आयोजित करने के लिए सम्मेलन या सेमिनार भवन, ऑडिटोरियम और प्रदर्शनी भवन होंगे।

(iii) कन्वेंशन केन्द्र का प्रत्येक सम्मेलन, सेमिनार भवन, प्रदर्शनी भवन और ऑडिटोरियम आधुनिक लोक संबोधन प्रणाली, स्लाइड और पावर प्वाइंट प्रक्षेपण प्रणाली और एलसीडी प्रक्षेपक या वीडियो पटेक्षण सुविधा से सज्जित होगा।

(iv) कन्वेंशन केन्द्र में इन सुविधाओं को प्रदान करने के लिए प्रशिक्षित प्रचालकों के साथ कंप्यूटर और प्रिंटरों सहित दस्तावेजी केन्द्र, एसटीडी/आईएसडी सुविधाओं सहित टेलीफोन, ई-मेल, फोटोकॉपी और स्कैनिंग सुविधा भी होगी।

(v) कन्वेंशन केन्द्र में सम्मेलन या सेमिनार भवन, दस्तावेजी केन्द्र, ऑडिटोरियम और प्रदर्शनी भवन वातानुकूलित, होंगे।

(vi) कन्वेंशन केन्द्र में स्थानीय भवन विनियमों के अनुसार पर्याप्त पार्किंग सुविधा और अन्य सार्वजनिक सुविधाएं होंगी और अग्निशमन और सुरक्षा की बाबत सभी स्थानीय भवन विनियमों का भी अनुपालन किया जाएगा।

(2) उपनियम (1) में उल्लिखित सुविधाओं के अतिरिक्त कन्वेंशन केन्द्र में निम्नलिखित हो सकेगा :—

(i) बाह्य सम्मेलन या सेमिनार से संबद्ध क्रियाकलापों के लिए एम्फी थियेटर, भूदृश्य खुले स्थान।

(ii) केवल कन्वेंशन केन्द्र में कार्यक्रमों की सहायता के लिए कोई रसोई, भोजन सुविधा वाला कैफेटेरिया या रेस्तरां।

(3) संपरीक्षा की पृथक रिपोर्ट प्रत्येक पात्र कन्वेंशन केन्द्र की बाबत आय विवरणी के साथ प्ररूप सं. 10-गगखख में भेजी जाएगी और धारा 288 की उपधारा (2) के नीचे स्पष्टीकरण में यथा परिभाषित लेखाकार द्वारा सम्यक् रूप से हस्ताक्षरित और सत्यापित की जाएगी।

(4) कटौती के दावा के पहले वर्ष में निर्धारिती संपरीक्षा रिपोर्ट के साथ राज्य या स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा दी गई कन्वेंशन केन्द्र के भवन के लिए अनुमोदन की एक प्रति संलग्न करेगा जिसमें जहां लागू हो, निम्नलिखित होंगे :—

(i) नगर योजना प्राधिकारी या नगर निगम से कन्वेंशन केन्द्र के सन्निर्माण के लिए अनुज्ञा;

(ii) 1 अप्रैल, 2002 को प्रारंभ होने वाली और 31 मार्च, 2005 को समाप्त होने वाली अवधि के दौरान कन्वेंशन केन्द्र के पूर्ण होने को प्रमाणित करते हुए नगर योजना प्राधिकारी या नगर निगम से यथास्थिति पूर्ण होने का प्रमाण पत्र या अधिभोग प्रमाण पत्र।"

(ख) परिशिष्ट 2 में, प्ररूप सं. 10गगखक के पश्चात् निम्नलिखित प्ररूप अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"प्ररूप सं. 10गगखख

(नियम 18घग देखिए)

1. निर्धारिती का नाम
2. स्थायी लेखा सं.
3. प्रास्थिति
4. कन्वेंशन केन्द्र के स्वामित्व में शेयर :
 (क) क्या निर्धारिती का संपूर्ण स्वामित्व है हां नहीं
 (ख) क्या निर्धारिती का भागत: स्वामित्व है हां नहीं
 (ग) यदि हां, तो कृपया स्वामित्व की प्रतिशतता विनिर्दिष्ट करें
5. कन्वेंशन केन्द्र का नाम और पता
6. कन्वेंशन केन्द्र द्वारा प्रचालन के प्रारंभ की तारीख
7. प्रारंभिक निर्धारण वर्ष
8. नगर योजना या नगर निगम विनियमों के अधीन नगर योजना प्राधिकारी या नगर निगम से अनुमोदन (अनुमोदन की प्रति संलग्न करें) :

अनुमोदन	जारी करने वाला प्राधिकारी	अनुमोदन की तारीख और सं.
(क) कन्वेंशन केन्द्र के सन्निर्माण के लिए अनुज्ञा		
(ख) पूर्ण होने का प्रमाण पत्र या अधिभोग प्रमाण पत्र		

9. **कन्वेंशन केन्द्र के तकनीकी ब्यौरे :**

(i) नगर आकार जनसंख्या (2001 की जनगणना के अनुसार)

(ii) कुर्सी क्षेत्र के अंतर्गत आने वाला कुल क्षेत्र (वर्ग मीटर में)

(iii) सम्मेलन या सेमिनार भवनों की संख्या

(iv) कन्वेंशन केन्द्र की स्थान क्षमता

(v) आडिटोरियमों की संख्या

(vi) प्रदर्शनी भवनों की संख्या

(vii) कन्वेंशन केन्द्र के तकनीकी विनिर्देश :

(क) क्या सम्मेलन या सेमिनार भवनों, ऑडिटोरियम और प्रदर्शनी भवन में आधुनिक लोक संबोधन प्रणाली है — हां····· नहीं ·····

(ख) क्या सम्मेलन या सेमिनार भवनों, आडिटोरियम और प्रदर्शनी भवन में स्लाइड और पावर प्वाइंट प्रक्षेपण प्रणाली है — हां····· नहीं ·····

(ग) क्या सम्मेलन या सेमिनार भवनों, आडिटोरियम और प्रदर्शनी भवन में एलसीडी प्रक्षेपक/वीडीओ पटेक्षण सुविधा है — हां ····· नहीं ·····

(घ) क्या कन्वेंशन केन्द्र में दस्तावेजी केन्द्र है — हां ····· नहीं ·····

(ङ) क्या दस्तावेजी केन्द्र में इन उपस्करों के हथालन के लिए प्रशिक्षित प्रचालकों के साथ-साथ कम्प्यूटर, प्रिन्टर, फैक्स, ई-मेल, फोटोकापियर और स्कैनर हैं। — हां ····· नहीं ·····

(च) क्या सम्मेलन या सेमिनार, प्रदर्शनी भवन, आडिटोरियम और दस्तावेजी केन्द्र वातानुकूलित है। — हां ····· नहीं ·····

(छ) क्या कन्वेंशन केन्द में स्थानीय भवन विनियमों के अनुसार पर्याप्त पार्किंग और अन्य सार्वजनिक सुविधाएं हैं — हां ····· नहीं ·····

(ज) क्या कन्वेंशन केन्द्र अग्निशमन और सुरक्षा की बाबत स्थानीय भवन विनियमों का अनुपालन करता है — हां ····· नहीं ·····

(झ) क्या कन्वेंशन केन्द्र में एम्फी थियेटर है — हां ····· नहीं ·····

(ञ) क्या कन्वेंशन केन्द्र में भूदृश्य है :

(i) खुला स्थान — हां ····· नहीं ·····

(ii) यदि हां तो कृपया वह प्रयोजन विनिर्दिष्ट करें जिसके लिए वह प्रयुक्त है

(ट) क्या कन्वेंशन केन्द्र में निम्नलिखित है :—

(i) रसोई सुविधा या रेस्तरां — हां ····· नहीं ·····

(ii) क्या उसका केवल कन्वेंशन केन्द्र में कार्यक्रमों की सहायता के लिए उपयोग किया जाता है — हां ····· नहीं ·····

10. **कटौती की संगणना से संबंधित ब्यौरे :**

(i) आयोजित सम्मेलनों या सेमिनारों की संख्या _____

(ii) कन्वेंशन केन्द्र से प्राप्तियां _____

(iii) अन्य प्राप्तियां _____

(iv) कन्वेंशन केन्द्रों के निर्माण-स्वामित्व-प्रचालन के कारबार से प्राप्त लाभ : (रकम रुपयों में) _____

(v) धारा 80 झख (7ख) के अधीन कटौती (रकम रुपयों में) _____

घोषणा

*मैंने/हमने नामक * * उपर्युक्त कन्वेंशन केन्द्र का और जो निर्धारिती मैं०(स्थायी लेखा सं) का है, के तुलन पत्र की और उस तारीख को समाप्त हुए वर्ष के लिए उक्त कन्वेंशन केन्द्र के लाभ और हानि लेखा की जांच कर ली है जो स्थित मुख्य कार्यालय और स्थित शाखाओं पर रखी गई लेखा बहियों के अनुरूप है।

* मैंने/हमने वह सभी जानकारी और स्पष्टीकरण अभिप्राप्त कर लिए हैं जो * मेरे/हमारे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार संपरीक्षा के प्रयोजनों के लिए * मेरी/हमारी राय में आवश्यक थे। पूर्वोक्त कन्वेंशन केन्द्र के कार्यालय और उसकी शाखाओं में जहां * मैं/हम गया/गए थे, जहां तक बहियों की * मेरी/हमारी जांच से प्रतीत होता है, समुचित लेखा बहियां रखी गई हैं और अन्य शाखाओं से जहां मैं/हम नहीं गया था/ गए थे नीचे दी गई टीका-टिप्पणी के अधीन रहते हुए, संपरीक्षा के प्रयोजनों के लिए पर्याप्त समुचित विवरणियां प्राप्त हो गई हैं।

मेरी राय में कन्वेंशन केन्द्र धारा 80झख में अनुबद्ध शर्तों को पूरा करता है और इस धारा के अधीन दावा की गई कटौती की रकम आयकर अधिनियम के उपबंधों के अनुसार है।

*मेरी/हमारी राय में और *मेरी/हमारी सर्वोत्तम जानकारी तथा मुझे/हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार उक्त लेखा—

(i) तुलन पत्र के मामले में को ऊपर नामित कन्वेंशन केन्द्र के कार्यों की स्थिति का, और

(ii) लाभ और हानि लेखा के मामले में को समाप्त होने वाले लेखा वर्ष के लिए कन्वेंशन केन्द्र के लाभ या हानि का, सही और निष्पक्ष चित्र प्रस्तुत करता है।

स्थान

तारीख

.....

हस्ताक्षरित

लेखाकार''

[अधिसूचना सं. 142/2004/फा० सं० 142/13/2002 टीपीएल.]

चन्द्रजीत सिंह, अवर सचिव

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii), तारीख 26 मार्च, 1962 में का.आ. 969(अ) द्वारा प्रकाशित किए गए थे जो समय-समय पर संशोधित किए गए थे और अंतिम संशोधन आय-कर (सातवां संशोधन) नियम, 2004 द्वारा अधिसूचना का.आ.सं. 434 (अ) तारीख 31-3-2004 द्वारा किया गया।

स्पष्टीकारक ज्ञापन

वित्त अधिनियम 2002 द्वारा 1-4-2003 से नए कन्वेंशन केन्द्रों के लिए कटौती का उपबंध करने वाली उपधारा (7ख) को अंत:स्थापित करने के लिए आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80झख का संशोधन किया गया है। इस अधिसूचना ने कन्वेंशन केन्द्रों के लिए क्षेत्र, प्रसुविधाएं और सुख-सुविधाएं तथा धारा 80झख की उपधारा (7ख) और उपधारा (14) के खंड (कक) के प्रयोजन के लिए फाइल की जाने वाली संपरीक्षा रिपोर्ट की विशिष्टियों को विहित करने के लिए नियम 18 घग में अंत:स्थापित करने के लिए आयकर नियम 1962 का संशोधन किया है। यह नियम भूतलक्षी प्रभाव से अधिसूचित किया जा रहा है और इसका निर्धारितियों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)

NOTIFICATION

New Delhi, the 20th April, 2004

(INCOME-TAX)

S.O. 514(E).—In exercise of the powers conferred by Section 295 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), read with sub-clause (iii) of clause (b) of Sub-section (7B) and clause (aa) of Sub-section (14) of Section 80-IB of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Board of Direct Taxes hereby makes the following rules further to amend the Income-tax Rules, 1962, namely :—

1. (1) These rules may be called the Income-tax (Eighth Amendment) Rules, 2004.

(2) They shall be deemed to have come into force from the 1st day of April, 2002.

2. In the Income-tax Rules, 1962,—

(a) after rule 18DB, the following rule shall be inserted, namely :—

"Prescribed area, facilities and amenities for convention centres and particulars of audit report, for deduction under Sub-section (7B) and clause (aa) of Sub-section (14) of Section 80-IB.

18DC. (1) For the purpose of Sub-section (7B) and clause (aa) of Sub-section (14) of Section 80-IB, the convention centre shall have the following area, facilities and amenities,—

(i) A convention centre located in a town or city mentioned in column (1) of the table below, shall have a minimum plinth area mentioned in column (2), minimum seating capacity mentioned in column (3) and minimum number of conference or seminar halls mentioned in column (4) of the said table, as under :—

Town size population (as per 2001 census)	Minimum area covered plinth area (in Sq. mtrs.)	Minimum seating capacity range	Minimum number of Conference or Seminar halls
(1)	(2)	(3)	(4)
Below 5 lakhs	2000	200-300	2
5—10 lakhs	5000	500-750	3
10—40 lakhs	10000	1000-1500	5
Above 40 lakhs Mega cities	15000	1500-2000	7

(ii) The convention centre shall have conference or seminar halls, auditorium and exhibition halls for holding seminars, conferences.

(iii) Each conference, seminar hall, exhibition hall and the auditorium of the convention centre shall be equipped with modern public address system, slide and power point projection system and LCD projector or Video screening facility.

(iv) The convention centre shall also have a documentation centre with computers and printers, telephone with STD/ISD facilities, E-mail, photocopy and scanning facility along with trained operators to provide these facilities.

(v) The conference or seminar hall, documentation centre, auditorium and the exhibition hall of the convention centre shall be air-conditioned.

(vi) The convention centre shall have adequate parking facility and other public conveniences as per the local building regulations and should also fulfil all local building regulations in respect of fire and safety.

(2) In addition to facilities mentioned in sub-rule (1), the convention centres may have,—

(i) an amphi-theatre, landscaped open spaces for outdoor conference or seminar related activities.

(ii) a kitchen, dining facility cafeteria or restaurant only to support events in the convention centre.

(3) A separate report of the audit, shall be furnished along with the return of income in respect of each eligible convention centre, in Form No. 10-CCBB and shall be duly signed and verified by an accountant as defined in the Explanation below sub-section (2) of Section 288.

(4) In the first year of the claim of deduction, the assessee shall enclose along with the audit report, a copy of approvals for building of convention centre given by State or local authorities, which shall, where applicable, include the following :—

(i) permission for construction of the convention centre, from the town planning authority or municipal corporation;

(ii) completion certificate or occupation certificate, as the case may be, from the town planning authority or municipal corporation, certifying the completion of the convention centre, during the period commencing on the 1st day of April, 2002 and ending on the 31st day of March, 2005."

(b) In Appendix-II, after Form No. 10CCBA, the following form shall be inserted, namely :—

"FORM NO. 10CCBB

(See Rule-18DC)

1. Name of the assessee :
2. PAN :
3. Status :
4. Share in the ownership of the convention centre :
 (a) Fully owned by assessee Yes—— No——
 (b) Partly owned by assessee Yes—— No——

1300 GI/04-2

(c) If yes, please specify the percentage of ownership :

5. Name and address of the convention centre :

6. Date of commencement of operation by the convention centre :

7. Initial assessment year :

8. Approval from the town planning authority or municipal corporation under the town planning or municipal corporation regulation (attach copy of approval) :

Approval	Issuing Authority	Approval date and number
(a) Permission for construction of the convention centre		
(b) Completion certificate or occupation certificate		

9. **Technical details of convention centre** :

(i) Town size population (as per 2001 census)

(ii) Total covered plinth area (in Sq. metres)

(iii) Number of conference or seminar halls

(iv) Seating capacity of the convention centre

(v) Number of Auditoriums

(vi) Number of exhibition halls.

(vii) Technical specification of convention centre :

(a) Whether the conference or seminar halls, auditorium and exhibition hall have modern public address system — Yes—— No——

(b) Whether conference or seminar halls, auditorium and exhibition hall have slide and power point projection system — Yes—— No——

(c) Whether conference or seminar halls, auditorium and exhibition hall have LCD Projector/Video screening facility — Yes—— No——

(d) Whether the convention centre has a documentation centre — Yes—— No——

(e) Whether the documentation centre has Computers, printers, Fax, E-mail, photocopier and scanner along with trained operators to handle these equipments — Yes—— No——

(f) Whether the conference or seminar halls, exhibition hall, auditorium and documentation centre are air-conditioned — Yes—— No——

(g) Whether the convention centre has adequate parking and other public conveniences as per local building regulations — Yes—— No——

(h) Whether the convention centre fulfills the local building regulations in respect of fire and safety — Yes—— No——

(i) Whether the convention centre has amphi-theatre — Yes—— No——

(j) Whether the convention centre has landscaped

(i) open space — Yes—— No——

(ii) if yes, please specify the purpose for which the same is used

(k) Whether the convention centre has

(i) Kitchen facility or Restaurant — Yes—— No——

(ii) Whether the same is used only to support events in the convention centre — Yes—— No——

10. **Details relating to computation of deduction :**

(i) Number of Conferences or Seminars held _____

(ii) Receipts from convention centre _____

(iii) Other receipts: _____

(iv) Profit derived from the business of building-owning-operating of convention centres : (Amount in rupees) _____

(v) Deduction under section 80-IB (7B) (amount in rupees) _____

Declaration

*I/We have examined the balance sheet of the above convention centre styled** and belonging to the assessee M/s (Permanent Account No.) as at and the profit and loss account of the said convention centre for the year ended on that date which are in agreement with the books of account maintained at the head office at.....and branches at.....

*I/We have obtained all the information and explanations which to the best of *my/our knowledge and belief were necessary for the purposes of the audit. In *my/our opinion, proper books of account have been kept by the head office and the branches of the convention centre aforesaid visited by *me/us so far as appears from *my/our examination of books, and proper returns adequate for the purposes of audit have been received from branches not visited by *me/us, subject to the comments given below :—

In my opinion, the convention centre satisfies the conditions stipulated in section 80-IB and the amount of deduction claimed under this section is as per the provisions of the Income-tax Act, and

In *my/our opinion and to the best of *my/our information and according to explanations given to *me/us, the said accounts given a true and fair view—

(i) in the case of the balance sheet, of the state of affairs of the above named convention centre as at....., and

(ii) in the case of the profit and loss account, or the profit or loss of the convention centre for the accounting year ending on

Place

Date

.....

Signed

Accountant"

[Notification No. 142/2004/F.No. 142/13/2002-TPL]

CHANDRAJIT SINGH, Under Secy.

Note : The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary Part-II, Section 3(ii), dated the 26th March, 1962 *vide* S.O. 969(E), which was amended from time to time and last amended by Income-tax (7th amendment) Rules, 2004 *vide* Notification S.O. No. 434(E), dated 31-3-2004

EXPLANATORY MEMORANDUM

The Finance Act, 2002 amended section 80-IB of the Income-tax Act, 1961, to insert sub-section (7B) providing a deduction for new convention centres, w.e.f. 1-4-2003. This notification has amended the Income-tax Rules, 1962 to insert Rule 18DC to prescribe the area, facilities and amenities for convention centres as well as the particulars of audit report to be filed for the purpose of sub-section (7B) and clause (aa) of sub-section (14) of section 80-IB. The rule is being notified with retrospective effect and is not prejudicial to the assessees.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.